

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक /

पटना, दिनांक.....

सं० सं०-05/उ०नि० लोक लेखा 05/2015

प्रेषक,

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर।

विषय : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 221 में कंडिका क्रमांक 22 में सन्निहित अनुशंसाओं का कार्यन्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2744 दिनांक 05.09.2017 द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 221 में कंडिका क्रमांक 22 में सन्निहित अनुशंसाओं का कार्यन्वयन प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जो अब तक अप्राप्त है।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 221 में कंडिका क्रमांक 22 में समिति का अनुशंसा निम्नवत् है :-

- 1- सभी प्रोफार्मा लेखे जल्द से जल्द तैयार किये जाय।
- 2- स्टॉक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष नियमानुकूल कराया जाय।
- 3- उधार बिक्री का कुल बकाया 0.97 लाख रुपये की वसूली जल्द से जल्द की जाय, तथा की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि पूर्व की स्थिति एवं वर्तमान की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। अगर कर्मशाला विघटित हो गया है तो ऐसी स्थिति में विघटन आदेश के साथ अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


ह०/-


संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 91.....

पटना, दिनांक 5-1-18

प्रतिलिपि :-आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।


4/1/18